न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-38RAAJodhpur2022-12RTA223 Smt. Elchi Vs Birbalram etc

श्रीमती एलची पुत्री जोराराम, पत्नी हेतराम, जाति विश्नोई, निवासी- हनुमान नगर, कानासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर, हाल निवासी- सांवरीज, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. बिरबलराम पुत्र फगलुराम
2. पालु पुत्री फगलुराम
3. नेनु पुत्री हरींगाराम फौत के कायम मुकामः -
   - 3.1. रिड़मलराम पुत्र खानूराम
   - 3.2. बाबूराम पुत्र खानूराम
   - 3.3. भीखाराम पुत्र खानूराम
   - 3.4. बिरबलराम पुत्र खानूराम
4. फगलुराम पुत्र हरींगाराम

   जातियान् विश्नोई, निवासीगण- हनुमान नगर, कानासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।
6. सोहनलाल पुत्र अनाराम
7. भागीरथ पुत्र अनाराम
8. बीरबलराम पुत्र अनाराम
9. हनुमानराम पुत्र अनाराम

   सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- हनुमाननगर, जैसला, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 1984 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 131/1984 बिरबलराम व अन्य बनाम फगलुराम इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री राजुराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 1 व 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 5
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 06 से 09

नि र्ण य

दिनांक : 28 जनवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 131/1984 बिरबल व अन्य बनाम फगलुराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 1984 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 03 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 337 रकबा 37.10 बीघा, खसरा नं. 244 रकबा 115.02 बीघा, खसरा नं. 916 रकबा 50.05 बीघा, खसरा नं. 927 रकबा 131.02 बीघा खसरा नं. 1000 रकबा 196.08 बीघा, खसरा नं. 336 रकबा 1.14 बीघा मूल ग्राम कानासर के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04 दिसंबर 1984 को वाद जरिये राजीनामा स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी की बिना जानकारी व राजीनामा से ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जानकारी अपीलार्थीनी को नहीं थी। वर्तमान जमाबंदी की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि अपीलार्थीनी का हिस्सा कम दर्ज है, जिस पर अपीलार्थीनी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि निर्णय एवं डिक्री के जरिये हिस्से बदले गये है, जिस पर अपीलार्थीनी द्वारा दिनांक 28.01.2022 को नकल हेतु आवेदन किया, जो नकल तैयार होकर दिनांक 01.02.2022 को प्राप्त हुई, जिसे पढकर सुनाये जाने पर अपीलार्थीनी को प्रथम बार आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अपीलार्थीनी द्वारा जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। किसी अनुचित लाभ के लिए देरी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमायी जावे।

गुणावगुण पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थीनी का जन्म दिनांक 01.01.1968 को हुआ था, जिसके तहत अपीलार्थीनी सन् 1984 में 16 वर्ष की थी तथा नाबालिग होने के कारण न्यायालय में पैरवी करने व राजीनामा प्रस्तुत करने में सक्षम पक्षकार नहीं थी, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक करते हुए आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। विवादित भूमि स्व. हरींगाराम की पुश्तैनी भूमि थी तथा उनके दो पुत्र फगलुराम व जोराराम थे। अपीलार्थीनी स्व. जोराराम की एकमात्र पुत्री होने से वादग्रस्त आराजी में उसका 1/2 हिस्सा निहित है। विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामा वाद की प्लीडिंग के विपरित जाकर स्वीकार किया गया है तथा वाद की इस्तदुआ व राजीनामा एक-दूसरे के विरोधाभाषी होने से स्वीकार योग्य नहीं था। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में अपीलार्थीनी के नोटिस तामील नहीं होने के बावजूद भी उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। विधिनुसार राजीनामा तस्दीक नहीं किया गया है तथा न ही आदेशिका पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षकारान् के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत राजीनामा पर पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि-विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 131/1984 बिरबल व अन्य बनाम फगलुराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 1984 को अपास्त किया जाकर मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्तागण रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीनी द्वारा हस्तगत अपील तथ्यों को छुपाते हुए पेश की है। अपीलार्थीनी को विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की जानकारी शुरुआत से ही रही है। अपीलार्थीनी की ओर से विचारण न्यायालय में अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर सहमति से अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित किये गये है, जिसकी जानकारी अपीलार्थीनी को उसी वक्त थी। अपीलार्थीनी को जानकारी होते हुए भी उसके द्वारा करीब 35-36 वर्ष बाद जानबूझ कर गलत तथ्यों के आधार पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में सन् 1984 में ही खाते अलग हो गये थे। अपीलार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम में गलत कथन किये गये है। अपीलार्थीनी द्वारा दिनांक 09.08.2011 को प्रत्यर्थी संख्या एक बीरबलराम व स्वयं का हिस्सा खसरा नं. 336, 377/1 के संबंध में उपपंजीयक फलोदी के यहां विनिमय पत्र निष्पादित किया। उस विनिमय पत्र से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी के खसरों का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से विभाजन हो चुका था एवं जमाबंदी संवतः 2039-2042 का विनिमय पत्र में एवं नामांतरकरण संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

618 का हवाला विनिमय पत्र में किया गया है। उक्त विनिमय पत्र पंजीबद्ध दस्तावेज है, जिसमें अपीलार्थीनी एलची के हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान एवं फोटो लगा हुआ है अर्थात वादग्रस्त आराजी के संबंध में जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 09.08.2011 को अपीलार्थीनी ऐलची को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी बखूबी हो गई थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय-समय पर विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में म्याद के बिंदु को सर्वप्रथम तय करना आवश्यक माना है। अपीलार्थीनी द्वारा 36 वर्ष बाद मिथ्या एवं मनगढंत कारणों के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पो. द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी.2015(1) 369, आर.आर.टी. 2015(1) 168, 2015(2)आर.आर.टी. पेज 1425, आर.आर.डी. 1983 पेज 556, आर.आर.टी. 2010(2) पेज 801, 2014(2) आर.आर.टी. पेज 1349, 2015(1) आर.आर.टी. पेज 232, आर.आर.टी. 2013(1) पेज 125, की न्यायिक नजीरे पेश की।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक नजीरो का ससम्मान परिशीलन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त राजीनामा पर अपीलार्थीनी ऐलची के अंगुष्ठ निशान मौजूद है। अपीलार्थीनी की पहचान उसके अधिवक्ता श्री जोधाराम द्वारा की गई है। अपीलार्थीनी द्वारा राजीनामा अनुसार निर्णय पारित किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की गई है। वकील रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा प्रस्तुत अभिलेख मुताबिक अपीलार्थीन निर्णय एंव डिक्री की पालना में नामांतरकरण संख्या 618 स्वीकृत किया गया है।

वकील रेस्पोडेंट्स द्वारा फार्म संख्या तीन के साथ प्रस्तुत विनिमय पत्र दिनांक 09.08.2011 जो अपीलार्थीनी ऐलची द्वारा निष्पादित किया गया है। उक्त विनिमय पत्र में अपीलार्थीनी द्वारा कथन किया गया है कि उसे उक्त आराजी नामांतरकरण संख्या 618 के जरिये प्राप्त हुई है, जिससे यह पूर्णतया साबित होता है कि अपीलार्थीनी को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी शुरुआत से ही रही है। अपीलार्थीनी द्वारा उक्त विनिमय पत्र में यह कथन भी किये गये है कि नामांतरकरण संख्या 618 में वर्णित खसरान् की भूमि में कोई हक-हिस्सा का क्लेम दावा या फरीयाद नहीं करुंगी और न ही मेरा अब कोई पैतृक भूमि में हक अथवा हिस्सा शेष है और इससे मैं पाबंद रहूंगी। इस प्रकार नामांतरकरण संख्या 618 के जरिये मिली भूमि एवं इस विनिमय पत्र से प्राप्त हुई भूमि के अतिरिक्त मेरा कोई भी किसी प्रकार का हक-हिस्सा किसी भी पैतृक भूमि में नहीं है, न ही रहेगा। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्च न्यायालय ने धारित किया है कि विलंब का पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किये जाने से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीनी द्वारा इतनी लंबी अवधि बीतने के पश्चात मिथ्या कथनों के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अपील काल वर्जित पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलांट म्याद बाधित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 131/1984 बिरबल व अन्य बनाम फगलुराम इत्यादि में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 1984 यथावत रखे जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-38RAAJodhpur2022-12RTA223 Smt. Elchi Vs Birbalram etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
श्रीमती एलची पुत्री जोराराम, पत्नी हेतराम, जाति विश्नोई, निवासी- हनुमान नगर, कानासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर, हाल निवासी- सांवरीज, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।	ब ना म	1. बिरबलराम पुत्र फगलुराम 2. पालु पुत्री फगलुराम 3. नेनु पुत्री हरींगाराम फौत के कायम मुकामः - 3.1. रिड़मलराम पुत्र खानूराम 3.2. बाबूराम पुत्र खानूराम 3.3. भीखाराम पुत्र खानूराम 3.4. बिरबलराम पुत्र खानूराम 4. फगलुराम पुत्र हरींगाराम जातियान् विश्नोई, निवासीगण- हनुमान नगर, कानासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी। 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी। 6. सोहनलाल पुत्र अनाराम 7. भागीरथ पुत्र अनाराम 8. बीरबलराम पुत्र अनाराम 9. हनुमानराम पुत्र अनाराम सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- हनुमाननगर, जैसला, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 1984 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 131/1984 बिरबलराम व अन्य बनाम फगलुराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 28 जनवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री राजुराम विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री पूनाराम विश्नोई, श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुआ कि उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलांट म्याद बाधित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 131/1984 बिरबल व अन्य बनाम फगलुराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 1984 यथावत रखे जाते हैं। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 28 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर